

3

रिपोर्ट तहसीलदार/पेरोकार सरकार

कमांक: राजस्व/2025/ 384

दिनांक: 21-4-25

महोदय, जांच रिपोर्ट पटवारी एवं भूअभिलेख निरीक्षक अनुसार ग्राम कोरडी के वादी/प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को शुद्धि किया जाना उचित होगा। रिपोर्ट सादर प्रस्तुत है।

तहसीलदार/नायब तहसीलदार
21/04/25


आदेश

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड राज0

कमांक: राजस्व न्यायालय/2025/ 88

दिनांक: 28/4/25

वादी/प्रार्थी के ग्राम कोरडी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को तहसीलदार पिडावा की उक्त जांच रिपोर्ट/प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित सारणी के कॉलम 4 में अंकित त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को कालम सं. 5 अनुसार दुरुस्त किया जाना स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार पिडावा को आदेशित किया जाता है कि वादी/प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में सारणी के कालम सं. 5 अनुसार इन्द्राज दुरुस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।



उपखण्ड-अधिकारी-पिडावा
जिला झालावाड राज0
जिला झालावाड

